संख्याः 939/35–1–2012–4/4(3)/2012

प्रेषक,

विजय कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0,
कालाकांकर भवन, लखनऊ।

*नियोजन अनुभाग–1* *लखनऊः दिनांक 28 सितम्बर 2012*

**विषयः वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में निदेशक, प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के लिपिकीय संवर्ग के पदों के पदनाम व वेतनमान आदि निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में वित्त (वेतन आयोग) अनु0–2 के पत्र संख्या– वे0आ0–2–401/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनॉक 18मार्च, 2011 एवं शासनादेश संख्याः वे0आ0–2–2105/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनॉक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा संसूचित सामान्य निर्णय के कम में निदेशक, प्रशिक्षण प्रभाग कार्यालय के लिपिकीय संवर्ग के इस शासनादेश के संलग्न तालिका–1 के स्तम्भ–2, 3, 4 व 5 में उल्लिखित कमशः पदो के पदनाम, पदों की संख्या, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की विधि/अर्हता को संलग्न तालिका–2 के स्तम्भ–2 के अनुसार पदों के पदनाम, स्तम्भ–3 व 4 के अनुसार पदों के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा स्तम्भ–5 के अनुसार पदों की संख्या तथा स्तम्भ–6 के अनुसार भर्ती की विधि/अर्हता को दिनॉक 18–3–2011 से संशोधित/प्रतिस्थापित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के संबंध में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन संबंधी शासनादेश संख्याः वे0आ0–1–6105/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 22 सितम्बर, 2011 के कम में संलग्न तालिका–2 की कम संख्या–2 के सम्मुख उल्लिखित वरिष्ठ सहायक के 05 पदों में से 03 पद पर दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से निम्न व्यवस्था निर्धारित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

| क0 सं0 | पदनाम/पदों की संख्या | पुनरीक्षित वेतन संरचना में | | भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/प्रकिया |
|---|---|---|---|---|
| | | वेतन बैण्ड (रू0) | ग्रेड वेतन (रू0) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | प्रधान सहायक (03) | 9300–34800 | 4200 | पुनर्गठित ढॉचे में उपलब्ध वरिष्ठ सहायक के पदों से पदोन्नति द्वारा |

2/–

3– उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में आने वाले पदधारको का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–841 / दस–59(एम) / 2008, दिनॉक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4– संबंधित सेवानियमावली में यथा शीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याः वे0आ0–1–715 / दस–2012, दिनॉक 25.09.2012 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

( विजय कुमार मिश्र )
विशेष सचिव।

संख्याः 939 / 35–1–2012, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय,उ0प्र0,इलाहाबाद।
3– महालेखाकार (लेखा परीक्षा ) प्रथम व द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4– वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
6– राज्य राष्ट्रीय सूचना केन्द्र योजना भवन, लखनऊ ।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
8– वित्त (आय–व्ययक) अनु0–1
9– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 / 2
10– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश शासन।
11– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( विजय कुमार मिश्र )
विशेष सचिव।

तालिका–1

शासनादेश सं0– 939/35–1–2012–4/4(3)/2012,
दिनांक 28 सितम्बर, 2012 का संलग्नक।

| क्र0 स0 | पदनाम | पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0) | पदो की संख्या | शैक्षिक अर्हता/भर्ती की विधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कनिष्ठ सहायक | 5200–20200, 1900/– | 03 | 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा हिन्दी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति हो।<br>15 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्ति ऐसे समूह–घ के कर्मचारियों से, जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है।<br>05 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समूह–घ के कर्मचारियों से, जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। |
| 2 | वरिष्ठ सहायक | 5200–20200 2400/– | 02 | शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा स्थायी कनिष्ठ सहायको में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर। |
| 3 | मुख्य लिपिक | 5200–20200 2800/– | 03 | शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा स्थायी वरिष्ठ सहायको में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर। |

( विजय कुमार मिश्र )
विशेष सचिव।

तालिका–2

शासनादेश सं0– 939/35–1–2012–4/4(3)/2012,
दिनांक 28 सितम्बर, 2012 का संलग्नक।

| क0 स0 | पदनाम | पुनरीक्षित वेतन सरंचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0) | पदो की संख्या | शैक्षिक अर्हता/भर्ती की विधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 |
| 1. | कनिष्ठ सहायक | 5200–20200<br>2000/– | 03 | 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता–इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिन्दी व अग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25 व 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।<br>15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाई स्कूल हों तथा टंकण का ज्ञान रखते हो।<br>05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिको से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हों तथा टकण का ज्ञान रखते हो। |
| 2. | वरिष्ठ सहायक | 5200–20200<br>2800/– | 05 | शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदो से। |

( विजय कुमार मिश्र )
विशेष सचिव।